प्रेस नोट संख्या- 06
दिनांक 08.11.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना इन्हौना पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, मृतक का टूटा व जला हुआ मोबाइल फोन, बांस के 02 डण्डे (आलाकत्ल) बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 08.11.2025 को क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व में थाना इन्हौना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 90/25 धारा 105 बीएनएस थाना इन्हौना जनपद अमेठी में वांछित अभियुक्त नंदलाल पुत्र हुबलाल निवासी दक्खिन मोहल्ला मजरे इन्हौना थाना इन्हौना जनपद अमेठी को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 07.11.2025 की रात में उसके गांव का ही रहने वाला जावेद उर्फ राजू शराब के नशे में उसके घर में घुस आया था तथा उसकी पत्नी से अभद्रता कर रहा था जिससे उसने जावेद को बांस के डण्डे से मारा-पीटा था तथा उसके मोबाइल को तोड़कर जला दिया था। जावेद का मोबाइल व डण्डे वहीं घर से कुछ दूरी पर छिपा दिया था। अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक का टूटा व जला हुआ मोबाइल फोन व मार-पीट में प्रयुक्त बांस के 02 डण्डे (आलाकत्ल) बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना इन्हौना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- नंदलाल पुत्र हुबलाल निवासी दक्खिन मोहल्ला मजरे इन्हौना थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

बरामदगी-

1. मृतक का टूटा व जला हुआ मोबाइल फोन
2. मार-पीट में प्रयुक्त बांस के 02 डण्डे (आलाकत्ल)

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 90/25 धारा 105 बीएनएस थाना इन्हौना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष इन्हौना श्री प्रदीप सिंह जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 राजेश चन्द पाल थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
3. का0 अभिषेक कुमार थाना इन्हौना जनपद अमेठी।
4. का0 शेरुम अंसारी थाना इन्हौना जनपद अमेठी।